रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236924 CG-DL-E-01072022-236924

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] No. 465]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/ आषाढ़ 9, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुन, 2022

सं. 33/2022-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 486(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 785(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसचना में. सारणी में -

- (i) क्रमांक 354 के सामने, स्तंभ (4) में, "6.9%" प्रविष्टि के स्थान पर, "11.85%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रमांक 356 के सामने, स्तंभ (4) में, "7.5%" की दोनों प्रविष्टि के स्थान पर जहाँ वे आते हैं, "12.5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा :
- (iii) क्रमांक 357A के सामने, स्तंभ (4) में, "7.5%" प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/16/2022-टीआरयू] विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

4390 GI/2022 (1)

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2022- सीमा शुल्क, दिनांक 7 जून, 2022, जिसे सा.का.िन. 428(अ), दिनांक 7 जून, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 33/2022-Customs

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section (3) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 354, in Column (4), for the entry "6.9%", the entry "11.85%" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 356, in Column (4), for the entry "7.5%", at both the places, the entry "12.5%" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 357A, in Column (4), for the entry "7.5%", the entry "12.5%" shall be substituted.

[F. No. 354/16/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E)., dated the 30th day of June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 31/2022-Customs, dated the 7th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 428(E)., dated the 7th June, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 34/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 487(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत में आयात किए जाने पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7108 के तहत आने वाले सभी सामानों को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 110 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण समाज कल्याण अधिभार से छूट देती है।

[फा. सं. 354/16/2022-टीआरयू] विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 34/2022-Customs

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from the whole of the Social Welfare Surcharge leviable thereon under the section 110 of the said Finance Act.

[F. No. 354/16/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 35/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 488(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2000 - सीमा शुल्क, दिनांक 8 मई 2000, जिसे सा. का. नि. 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था. में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी के, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में, "6.9%" प्रविष्टि के स्थान पर, "11.85%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/16/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 57/2000 - सीमा शुल्क, दिनांक 8 मई 2000, को सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 8 मई 2000, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 39/2021- सीमा शुल्क, दिनांक 19 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 581(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 35/2022-Customs

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2000-Customs,dated the 8th May, 2000,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000, namely:-

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 1, in Column (4), for the entry "6.9%", the entry "11.85%" shall be substituted.

[F. No. 354/16/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 39/2021-Customs, dated 19th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 581(E), dated the 19th August, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 36/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 489(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा. का. नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, क्रमांक 12 के सामने, स्तंभ (5) में, "6.6" प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "11.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/16/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था I

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 36/2022-Customs

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table III, against S. No. 12, in Column (5), for the entry "6.6", the entry "11.5" shall be substituted.

[F. No. 354/16/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022.